



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 5, गुरुवार, शाके 1940-सितम्बर 27, 2018
Asvina 5, Thursday, Saka 1940-September 27, 2018

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2018

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

संख्या एफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 :-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)-निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 02-04-2018 को अधिक्रमित करते हुए समावेशन-निष्कासन संबंधी निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

समावेशन सूची

| | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
|--------|--|--|
| क. सं. | समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी | समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अन्त्योदय परिवार | अन्त्योदय परिवार |
| 2. | बीपीएल परिवार | बीपीएल परिवार |
| 3. | स्टेट बीपीएल परिवार | स्टेट बीपीएल परिवार |
| 4. | अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी | अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी |
| 5. | ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:- A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो। | ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:- A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो। |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 6. | मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष | मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष |
| 7. | समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) | समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) |
| 8. | एकल महिलाएँ | एकल महिलाएँ |
| 9. | श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक | श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
| 10. | पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम | पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम |
| 11. | कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार | — |
| 12. | कचरा बीनने वाले परिवार | कचरा बीनने वाले परिवार |
| 13. | शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ | — |
| 14. | गैर सरकारी सफाई कर्मी | — |
| 15. | स्ट्रीट वेण्डर | — |
| 16. | उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार | उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार |
| 17. | साईकिल रिक्शा चालक | साईकिल रिक्शा चालक |
| 18. | पोर्टर (कुली) | पोर्टर (कुली) |
| 19. | कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति | कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति |
| 20. | घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक | घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक |
| 21. | वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी | वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी |
| 22. | — | लघु कृषक |
| 23. | आस्था कार्डधारी परिवार | आस्था कार्डधारी परिवार |
| 24. | अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति | अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति |
| 25. | एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार | एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार |
| 26. | सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार | सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार |
| 27. | बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ) | बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ) |
| 28. | पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार | पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार |
| 29. | डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ | डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ |
| 30. | निसंतान वृद्ध दंपति | निसंतान वृद्ध दंपति |
| 31. | वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है | वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है |
| 32. | ट्रांसजेण्डर | ट्रांसजेण्डर |

निष्कासन सूची

| शहरी क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) | ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) |
|---|--|
| 1 | 2 |
| 1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। | 1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। |
| 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। | 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन |

| | |
|--|--|
| 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। | प्राप्त करता हो। |
| 4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोड़कर)। | 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। |
| 5. नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)। | 4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। |
| 6. एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। | 5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो। |
| 7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। | 6. ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो। |

नोट:-

1. समावेशन प्राथमिकता श्रेणी (कम संख्या 1-32 तक) के सभी विहित लाभार्थी खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र होंगे। निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा इन पात्रता शर्तों में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।
3. आम-जन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट <http://www.food.rajasthan.gov.in/> पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

अंजू राजपाल,
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।